

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,  
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/देवघर,  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : ०५/१२/२०२०

विषय :- वित्तीय वर्ष २०१६-१७ एवं २०१९-२० में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड अंतर्गत सिंचाई दे रही वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण/अनुरक्षण कार्य हेतु रु. ३५.२३२ लाख (पैतीस लाख तेर्हस हजार दो सौ मात्र) रूपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-३१/१९-२०, दिनांक-२६.०८.२०१९ (Online AA-1251/२९.०८.२०१९)  
४४/१६-१७, दिनांक-१९.०९.२०१६ (Online AA-1387/२१.०९.२०१६)

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०२०-२१ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
१	२	३	४	५
१.	४९—जल संसाधन विभाग/ ४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ ८०—सामान्य	७८९—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष — ४६—सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन	०५—निर्माण, ४५—निर्माण कार्य, विपत्र कोड :- ४९S470180789460545	३५.२३२

आवंटित राशि — ₹ पैतीस लाख तेर्हस हजार दो सौ मात्र।

2. आवंटित राशि वर्ष २०२०-२१ के बजट उपबंध की राशि ₹ ३७३.०० लाख (तीन करोड़ तिहात लाख) मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि योजना—सह—वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक-२०१८, दिनांक-०४.११.२०२० के आलोक में विभाग के राज्य योजना के लिये कुल बजटीय उपबंध की राशि के ५०% के अन्तर्गत है।
4. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८, १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३, १३६३ दि. ०९.०५.२०१६ तथा २७४७(वि.), दिनांक-१९.०९.१६ के आलोक में होगा।
5. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।
6. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अधिकारित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम १९८० आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)  
०५/१२/२०  
(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च, 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

**नोट :** आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है, जिसका Access No. परिशिष्ट-1 के स्तंभ-12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त्

*(प्रशांत कुमार)*  
सचिव

ज्ञापांक :— 130

रॉची, दिनांक :— 04/12/2020

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ज्ञारखण्ड पो. — हिन्दू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/देवघर/दुमका/गोड्डा/गढ़वा/मेदिनीनगर/पलामू सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
अनुलग्नक—यथोक्त्।

*(प्रशांत कुमार)*  
सचिव

ज्ञापांक :— 130

रॉची, दिनांक :— 04/12/2020

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, ज्ञारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

*(राजेन्द्र प्रसाद)*

उप सचिव (अभि.)

*(अशोक कुमार दास)*

संयुक्त सचिव (अभि.)

*(प्रशांत कुमार)*  
सचिव

विभागीय पत्रांक.....130

दिनांक .....04/12/2020 का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 1

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य

लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन।

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45-निर्माण कार्य

विपत्र कोड- 49S470180789460545

वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट उपबंध ₹ 373.00 लाख (तीन करोड़ तिहास लाख) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2020 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (7+10)	On-line Allotment Access No.	आमुनित		
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि					
1	सिंचाई प्रमंडल, दुमका (DMKIRR002)	नेवधर मेदिनीनगर	वित्तीय वर्ष 2019-20 में जल संसाधन विभाग, आरखण्ड अंतर्गत सिंचाई दे रही बुद्ध एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण / अनुस्थान कार्य हेतु।	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2	सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा शिविर महगामा (GDDIRR001)			39.86	17.090	0.000	3.650	3.650	20.740	60155	प्रमंडल अंतर्गत 8 अद्य सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान			
3	जलपथ प्रमंडल, गढ़वा (GRHIRR004)			26.90	0.000	0.000	20.000	20.000	20.000	60156	प्रमंडल अंतर्गत 4 अद्य सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान			
4	रुपांकण प्रमंडल सं०-१, मेदिनीनगर (PLMIRR012)			29.05	16.232	0.000	6.740	6.740	22.972	60157	प्रमंडल अंतर्गत 7 अद्य सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान			
5	अग्रिम योजना प्रमंडल, पलामू (PLMIRR081)			3.71	2.297	0.000	0.803	0.803	3.100	60159	प्रमंडल अंतर्गत 2 अद्य सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान			
6	अनुसंधान प्रमंडल, गढ़वा (GRHIRR001)			7.00	0.525	0.000	0.535	0.535	1.060	60161	प्रमंडल अंतर्गत 4 अद्य सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान			
वित्तीय वर्ष 2016-17 में जल संसाधन विभाग, आरखण्ड अंतर्गत सिंचाई दे रही बुद्ध एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण / अनुस्थान कार्य हेतु।				44 / 16-175-स्वी., दिनांक-19.09.2016 Online AA 138/21.09.2016	31 / 19-20 प्र.स्वी. दिनांक 26-08-2019 Online AA-125/129.08.2019									
योग				112.70	37.840	0.000	35.232	35.232	73.072					
आवंटित राशि - ₹ पैतीस लाख तेर्फ़स हजार दो सौ मात्र।														

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)(प्रशांत कुमार)  
सचिव